4. The Tenure of the Committee shall be up-to the completion of project.

5. TA/DA shall be drawn by the members form their respective departments.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2016

No.49/43/2015-4IB1.— In super-session of the notification bearing No. 49/53/2005-41B-1 dated 8th July, 2005, further partial modification notification bearing No. 49/53/2005-41 B1 dated 14th January, 2008 and super-session of Notification bearing No. 49/33/2013-41B-1 dated 16th April, 2013; constituted Haryana Investment Promotion Board (HIPB) under the Chairmanship Chief Minister, Haryana for the purpose to attract domestic as well as foreign direct investment into the State. Further, as per provision of Enterprises Promotion Policy-2015, Chapter-4 at Sr. No.4.1.1 (a), Haryana Enterprise Promotion Board (HEPB) has been constituted bearing notification No. 49/53/2005-41B1 dated 3rd February, 2016 under the Chairmanship of Chief Minister, Haryana for Time Bound Clearances of new Projects and accelerating the pace of investment in the State, sanction special package for Mega Projects and approving any policy initiative, the Governor of Haryana is pleased to supersede Notification 49/53/2005-41B-1 dated 8th July, 2005, further partial modification notification bearing No. 49/53/2005-41 B1 dated 14th January, 2008 and super-session of Notification bearing No. 49/33/2013-41B-1 dated 16th April, 2013.

Remaining terms and conditions shall remain the same as per Notification bearing No. 49/53/2005-41B-1 dated 3rd February, 2016.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2016

संख्या 1925–प०पा०–2016/11249.— पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 27), की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (चैक पोस्ट और संगरोध कैम्प, निरीक्षण करने की रीति) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।	संक्षिप्त नाम।
2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम 27); (ख) "प्ररुप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप; (ग) "प्रभारी अधिकारी" से अभिप्राय है, किसी चैक पोस्ट या संगरोध कैम्प का पशु चिकित्सक; (घ) "धारा" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा। (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हे अधिनियम में दिए गए हैं।	परिभाषाएं।

चैक पोस्ट पर निरीक्षण करने की रीति। धारा 14(1) तथा 15(1)(2).	**3.** किसी चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी, चैक पोस्ट या संगरोध कैम्प में प्रत्येक पशु का निरीक्षण करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि– (i) पशुओं को ले जाने वाले सभी वाहनों को चैक पोस्ट पर रोका गया है; (ii) उचित कान टैग/चिह्न, उचित स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा टीकाकरण प्रमाण–पत्र रखने वाले पशु को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु का स्वास्थ्य ठीक है, जाने की अनुमति दी गई है; (iii) पशु जिसे टैग नहीं किया गया है, टीकाकरण प्रमाण–पत्र या स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के बिना है, को निरोध किया गया है; (iv) निरोध किए गए सभी पशुओं की, संगरोध कैम्प में भेजने से पहले, पशु चिकित्सक द्वारा अच्छी तरह से जांच की गई है; (v) संगरोध कैम्पों पर सभी पशुबाडे, चारा भण्डार पूर्णतयाः स्वच्छ तथा विसंक्रमित किये गए हैं।
संगरोध, कैम्प पर निरीक्षण करने की रीति। धारा 14	**4.** संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि– (i) यदि पशु किसी अनुसूचित रोग से पीड़ित हो तथा स्वास्थ्य तथा टीकाकरण अधि–प्रमाणित प्रमाण–पत्र के बिना ही ले जाया जा रहा है, तो ऐसे पशु को संगरोध कैम्प में कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा तथा प्ररूप क में पशु मालिक को इस प्रभाव की पावती जारी करेगा; (ii) यदि पशु में किसी रोग का निदान किया गया है, तो ऐसा पशु शरीर में जैविक रोगजनक की प्रविष्टि के बाद उद्‌भवन अवधि का मिलान करते हुए सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए रखा जाएगा; (iii) पहचान के बाद पशु के कान में टैग/टैटू लगाया गया है, यदि पहले टैग नहीं लगा है; (iv) बाह्य परजीवियों तथा अन्य बीमारियों के लिए पशु का शारीरिक परीक्षण किया गया है; (v) निरोध की अवधि के लिए पशुओं का स्वास्थ्य रिकार्ड रखा गया है; (vi) आवश्यक नमूनों का संग्रहण तथा विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है; (vii) जब भी आवश्यक हो खून/मूत्र/मल परीक्षा की गई है और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; (viii) निरोध के दौरान नश्वरता की घटना में, शव परीक्षण किया गया है और नियमों के अनुसार पशु शव का निपटान किया गया है; (ix) संगरोध में कार्यरत कर्मचारी विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वर्दी पहनेंगे; (x) खाद्‌यान, चारा, तथा टीकाकरण पर उपगत खर्च पशु के मालिक द्वारा वहन किया गया है; (xi) इस नियम के अधीन विहित संगरोध अवधि पूरी होने पर पशु को संक्रामक रोगों के विरूद्ध टीकाकरण के बाद छोड़ दिया गया है ।
परमिट का प्ररूप। धारा 14(4).	**5.** प्रभारी अधिकारी स्टेशन से किसी पशु को छोडते समय कुक्कट से अन्यथा पशुओं के लिए प्ररूप ख तथा कुक्कट के लिए प्ररूप ग में परमिट प्रदान करेगा ।
निर्वचन	**6.** यदि इन नियमों के लागूकरण में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो मामला महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उस पर जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्य होगा।

रजनी सेखरी सिबल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग।

प्ररूप क

{देखिए नियम 4 (i)}

संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती

प्रमाण पत्र संख्या.................................

नीचे वर्णित सभी पशुओं को मैंने दिनांक ....को 14 दिन की अवधि के लिए अभिरक्षा में लिया है।

संगरोध कैम्प का विवरण			
अवस्थिति			
पशु मालिक का विवरण			
पशु मालिक का नाम तथा पता			
पशु जहां से आए हैं			
पशु जहां ले जाने हैं			
	पशु विवरण		
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
जाति			
नस्ल			
आयु			
रंग			
जारी की गई संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती का विवरण			
जारी करने की तिथि			
जारी करने का स्थान			

हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)
राज्य पशुचिकित्सा परिषद्/भारतीय पशुचिकित्सा
परिषद् के साथ पंजीकरण संख्या
सरकारी मोहर।

प्ररुप ख

{देखिए नियम 5}

पशु चिकित्सक द्वारा कुक्कुट से अन्यथा पशुओं के लिए प्रदान किया गया परमिट

क सामान्य सूचना (पशुओं के स्रोत)

राज्य जहां से पशु आ रहे हैं ।

स्थान जहां पशु आ रहे हैं ।

ख पशु/पशुओं की पहचान

संख्या

चिह्न

जाति

लिंग

आयु

ग संगरोध विवरण

प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता

परिवहन का साधन

बक्सों की किस्म

घ स्वच्छता सूचना

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त वर्णित पशुओं का दिनांक................. को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है।

(क) पशुओं में संक्रामक और ससंर्गजन्य रोग अधिनियम की अनुसूची में वर्णित किसी भी रोग का लक्षण दिखाई नहीं दिया है/दिए हैं ।

(ख) निम्नलिखित अपेक्षाएं पूर्ण करता है/करते हैं:–

1. पशु की पैदा होने की तिथि....................
2. स्थान जहाँ से पशु लाया गया है अनुसूचित रोगों से मुक्त है।
3. पशु उस प्रतिष्ठान से लाया गया है उसका नियमित रूप से पशु प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
4. पशु के खून से सम्बंधित प्रयोगिक जांच.................पेशाब/मल..........................जिनमें नकारात्मक परिणाम हैं।

स्थानः हस्ताक्षर

तिथिः

(नाम एवं पदनाम)

राज्य पशुचिकित्सा परिषद्/भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकरण संख्या

सरकारी मोहर।

प्ररुप ग

{देखिए नियम 5}

पशु चिकित्सक द्वारा कुक्कुट (पक्षियों) के लिए प्रदान किया गया परमिट

क सामान्य सूचना (पक्षी / कुक्कुट के स्त्रोत)

राज्य जहां से पक्षी आ रहे हैं ।

स्थान जहां पक्षी आ रहे हैं।

ख पक्षी / पक्षियें की पहचान

संख्या

चिह्न

जाति

लिंग

आयु

ग संगरोध विवरण

प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता

परिवहन का साधन

बक्सों की किस्म

घ स्वच्छता सूचना

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त वर्णित पक्षियों का दिनांक......................को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया ।

(क) पशुओं में संक्रामक और ससंर्गजन्य रोग अधिनियम की अनुसूची में वर्णित किसी भी रोग का लक्षण दिखाई नहीं दिया है/दिए हैं ।

(ख) निम्नलिखित अपेक्षाएं पूर्ण करता है/करते हैं:–

1. प्रतिष्ठान से लाए जा रहे पक्षी अनुसूचित रोगों से मुक्त हैं।
2. पक्षी उस प्रतिष्ठान अथवा पक्षी उत्पादन केन्द्र से लाए गए हैं, जिनका नियमित रूप से पशु प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
3. पक्षियों के खून से सम्बंधित प्रयोगिक जांच.......................... जिनमें नकारात्मक परिणाम है।

हस्ताक्षर

स्थानः
तिथिः

(नाम एवं पदनाम)
राज्य पशुचिकित्सा परिषद्/भारतीय पशुचिकित्सा
परिषद् के साथ पंजीकरण संख्या
सरकारी मोहर।

रजनी सेखरी सिबल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिग विभाग।